पृ. कमांक / मा.चि. / 510

शहडोल / दिनांक 28/03/2018

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओंर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. उपवनमण्डलाधिकारी जयसिंहनगर / ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. वनपरिक्षेत्राधिकारी अमझोर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि प्रस्ताव मे प्रभावित वन भूमि पर खड़े वृक्षों की जानकारी FRL, FRL-2 Mtr. एवं FRL-4 Mtr. अनुसार तत्काल प्रतिवेदन भिजवायें।
5. वनपरिक्षेत्राधिकारी पूर्व ब्यौहारी की ओर लेख है कि संबंधित प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना 10 वर्षीय तैयार कर 05–05 प्रतियों में भिजवायें, जिसमें निरीक्षण व्यय 10 प्रतिशत नहीं लिया जाना है।
6. व्यय शाखा प्रभारी उत्तर वनमण्डल शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर शहडोल वनमण्डल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

☎ – 07652–245167 ई–मेल– dfonshahdol@mpforest.org

क्रमांक / मा.चि. / 509 शहडोल / दिनांक 28.../03/ 2018

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क.–2
शहडोल (म0प्र0)

विषय :– शहडोल जिले के अन्तर्गत बिछली नाला सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 8.6 हे0 वन भुमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भूप्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र कमांक / एफ–3 / 69 / 2017 / 10–11 / 13 / 854 दिनांक 22.03.2018

----000----

विषयांकित संदर्भित पत्र इस कार्यालय को संबोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, अवलोकन करें। बिछली नाला सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 8.6 हे0 वनभूमि के प्रस्ताव में कमियां होने से प्रस्ताव मूलतः वापस किया गया :–

1. प्रस्ताव की हार्डकॉपी व्यवस्थित नहीं है एवं पेजिंग भी नहीं की गई है।
2. प्रस्ताव में हार्डकॉपी में प्राधिकृत पत्र संलग्न नही है।
3. प्रस्ताव में हार्डकॉपी में प्रभावित वन भूमि 8.6 हे0 की 1:50000 स्केल के मानचित्र पर सर्वे आफ इण्डिया टोपोसीट की मूल प्रति संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव में हार्डकॉपी में प्रभावित वनभूमि 8.6 हे. का जियो रिफ्रेन्स मैप की मूलप्रति हस्ताक्षरित संलग्न नहीं है।
5. प्रस्ताव में हार्डकॉपी में प्रस्तावित योजना की विस्तृत टीप संलग्न नहीं है एवं प्रभावित क्षेत्र न्यूनतम होने बावत् अन्य विकल्पों का तुलनात्मक पत्रक एवं अन्य विकल्पों कों प्रभावित वनक्षेत्र से दर्शाने वाला मानचित्र संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव में हार्डकॉपी में लागत लाभ विश्लेषण पत्रक भारत सरकार के निर्देशानुसार फार्म 'A', 'B' एवं 'C' संलग्न नहीं है।
7. प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि पर काबिज अतिक्रमण कारियों की सूची संलग्न नहीं है।
8. प्रस्ताव में हार्डकॉपी में गैर वन भूमि हस्तांतरण का कलेक्टर शहडोल का आदेश संलग्न नहीं है।
9. प्रस्ताव में हार्डकॉपी में गैर वनभूमि का जियो रिफ्रेन्स मैप की मूलप्रति हस्ताक्षरित संलग्न नहीं है।
10. प्रस्ताव में हार्डकॉपी में गैर वनभूमि की 1:50000 स्केल के मानचित्र पर सर्वे ऑफ इण्डिया की मूलप्रति संलग्न नहीं है।
11. प्रस्ताव में हार्डकॉपी में गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण किये जाने हेतु गैर वनभूमी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नही है, संलग्न करें।

अतः उपरोक्त अभिलेख हार्डकॉपी में संलग्न नहीं होने से 04–04 प्रति में प्रस्ताव वापस भेजी जा रही है। उक्त अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न कर शीघ्र प्रेषित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (4–4 प्रतियों में)।

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर शहडोल वनमण्डल